डी.एल.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश नियमों में संशोधन –सत्र 2021–2022

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्र एफ 44–10/2019/20–2 दिनांक 03.06.2019 द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अशासकीय संस्थानों एवं दिनांक 17.06.2019 के द्वारा शासकीय डाइट्स में डी.एल.एल. पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी नियम जारी किये गये है।

प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत सत्र 2021–22 से उक्त नियमों की निम्नांकित कण्डिकाओं में प्रक्रिया संबंधी आंशिक संशोधन किए गए है जो कि निम्नानुसार है :–

स.क्र.	सत्र 2021–2022 में संशोधन
01	**शासकीय एवं अशासकीय संस्थान** **प्रवेश हेतु प्रक्रिया** **कण्डिका 10.2.1.ii** आवेदक को पंजीयन एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रत्येक राउण्ड में अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया में इस प्रकार 04 राउण्डों में प्रवेश की प्रक्रिया की जायेगी। तृतीय राउण्ड में आवश्यकतानुसार कण्डिका 7 में वर्णित आरक्षण संबंधी प्रावधान शिथिल करने की कार्यवाही की जायेगी। चतुर्थ राउण्ड में कॉलेज लेवल काउंसलिग (सी.एल.सी.) का प्रावधान रहेगा।
02	**कण्डिका 10.2.2.iii** यह कण्डिका विलोपित की जाती है।
03	**कण्डिका 10.2.4.i एवं 10.2.4.ii** यह कण्डिका विलोपित की जाती है।
04	**कण्डिका 10.6** कण्डिका 10.2.3 iii में वर्णित प्रक्रिया के पश्चात् सत्यापित प्रमाण–पत्रों की एक प्रति संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल के क्षेत्रिय कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी एवं मूल दस्तावेज छात्र को तत्काल वापस किये जाने होंगे।
05	**अशासकीय महाविद्यालय** **कण्डिका 6.2** अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त डी.एल.एड. महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीट्स पर ऑनलाइन प्रवेश दिए जाऍगे। शेष 50 प्रतिशत सीट्स मैनेजमेंट कोटे की होगी। इस कोटे में भी प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं संस्था चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही किया जाना होगा। इस प्रकार चयनित छात्रों की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध होगी। इस सूची में से महाविद्यालय आवश्यक संख्या में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेगें।

उक्त संशोधनों के अनुसार ही सत्र 2021–22 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संचालित की जावेगी।

नोटः– शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में सत्र 2021–22 से प्रवेशित अभ्यर्थियों संस्थान हेतु को निर्धारित शुल्क एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल